

संख्या: ई.डी.एन.-सी-बी (15) 23 / 2012
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषित

1. समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश-1
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश-1
4. राज्य परियोजना निदेशक, हिमाचल प्रदेश-1
5. समस्त उप-निदेशक, उच्च / प्राथमिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश
6. प्रधानाचार्य SCERT, सोलन, जिला सोलन,
7. समस्त प्रधानाचार्य, DIET, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-2

14 सितम्बर, 2018

विषय: पाठशाला में प्रवेश के समय बच्चों में टीकाकरण प्रमाण पत्र के शत-प्रतिशत लक्ष्य बारे।

महोदय / महोदया,

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पहली कक्षा से प्रवेश लेती बार बच्चों से उस उम्र के बच्चों के लिए निर्धारित टीकाकरण के प्रमाण-पत्र के साथ लिया जाए। इसका उद्देश्य राज्य में शत-प्रतिशत बच्चों में टीकाकरण है।

आप इससे सहमत होंगे कि इस उद्देश्य की पूर्ति आपके सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि टीकाकरण के प्रमाण-पत्र प्राइमरी स्कूल में प्रवेश के समय अनिवार्य है। इन आदेशों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

इसकी अनुपालना निदेशक, प्राइमरी शिक्षा द्वारा सुनिश्चित करवाई जाएगी। राज्य सरकार हर माह में रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार शर्मा)
सचिव (शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार